तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस दि० [illegible] को पेश हो। [signature]
12/1/26	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/1/26 को पेश हो [signature]
27/1/26	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/2/26 को पेश हो [signature]
5/2/26	वकील वादी उप०। बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस 26/2/26 को पेश हो। [signature]
26/2/26	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो [signature]
6/3/26	वकील वादी उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश। दि० 12/3/2026 को पेश हो। [signature]
12/3/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बादतामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

सिल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06/दावा/2023(81/2015)	23.10.2015	12.03.2026

1. भँवरलाल आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. मोतीलाल आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 मृतक कायम मुकामान –

2/1. भैरूलाल आ0 श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0। मृतक कायम मुकाम

2/1/1 मंजू रेगर पत्नी भैरूलाल जाति रेग निवासी पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा जिला बून्दी
2/1/2 रूद्राक्ष पुत्र भैरूलाल ना0 बा0 जर्ये संरक्षक माता निवासी पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा
2/1/3 लक्ष्मी पुत्री भैरूलाल ना0 बा0 जर्ये संरक्षक माता निवासी पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा
2/2. महेन्द्र आ0 श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
2/3. सुरेश आ0 श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
2/4. मोत्या बाई पत्नी श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा

3. छेटूलाल आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
   3/1 अशोक पुत्र छेटूलाल
   3/2 कल्याणी पुत्री छेटूलाल
   3/3 शन्ती पुत्री छूटूलाल
   3/4 ज्याना बाई पत्नी छेटूलाल जातियान रेगर निवासीगण पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा जिला बून्दी
4. रामनारायण आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी पीपल्दा हाड़ो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
5. मोहनलाल आ0 श्री मन्नालाल जातियान रेगर निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी

वादीगण

बनाम

1. बहादुर सिंह आत्मज श्री सुल्तान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, जिला बूंदी राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगण :– श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादी :–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा 188,88,89,90 एवं 53 आर.टी. एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,88,89,90 एवं 53 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पीपल्दा हाडों का पटवार क्षैत्र लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा जिला बूंदी में खाता संख्या 89 की खसरा नम्बर 657 पर हाली नामक खेत का कुल रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा किस्म भूमि नहरी दोयम में से रकबा 13 बीघा भूमि विस्थित है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है, पूर्व में– प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 657 की शेष भूमि, पश्चिम में– सरकारी नहर, उत्तर में–खसरा संख्या 657 की शेष भूमि तथा दक्षिण में– सरकारी नहर। वाद पत्र में अंकित कृषि भूमि 1973 से पूर्व राजस्व खाते में प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता लाडबाई के खाते में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री सुल्तान सिंह की जीवित अवस्था के समय से ही उक्त कृषि भूमि जडावचंद आत्मज श्री मन्नालाल जी जाति महाजन साकिन् पीपल्दा हाडो का के मुर्तुहीन रहन बिल कब्जा राजस्व रिकार्ड में थी। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि श्री जडावचन्द के पास लगभग 100 वर्षो से भी

समय से रहन बिल कब्जा चली आ रही थी। जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 को रहन मुक्ति की अवधि 1988 के पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से श्री जडावचन्द का खुदकाश्त कब्जा भूमि होने से भी विवादित उपरोक्त भूमि के श्री जडावचंद महाजन खातेदार कृषक हो चुके थे व उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान श्री कैलाशचंद जैन महाजन खातेदार कृषक हो चुके थे। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में मात्र खातेदार के रूप में दर्ज है। सन् 1973 के पूर्व ही श्री जडावचंद का देहांत हो जाने से उसका पुत्र कैलाशचंद व पुत्री कंचनबाई उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य रखते थे। कंचन बाई लाओलाद सन् 1974 में फौत हो चुकी थी। सन् 1973 में कैलाशचंद ने वादपत्र में अकित कृषि भूमि 10500/- रू0 में वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री मन्नालाल जी को रहन बिल कब्जा की जिसका दस्तावेज द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को वादीगण के पिता मन्नालाल के हक में 15000/- रू0 के प्रतिफल में विक्रय करते हुए शेष राशि 4500/- रू0 प्राप्त की तथा विक्रय विलेख का उक्त कैलाशंचद द्वारा वादीगण के पिता के हक में निष्पादन करके उप पंजीयक बूंदी के यहां दिनांक 19-6-76 को पंजीयन कराया। जिसमें अंकित तथ्यो से सन् 1973 में कैलाशचंद द्वारा वादीगण के पिता मन्नालाल के हक में विवादित भूमि रहन करने की पुष्टि होती है। रहन का मूल दस्तावेज उपरोक्त विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व उक्त कैलाशचंद ने फाड दिया। इस प्रकार के रहन से सन् 1973 में विवादित भूमि पर उक्त कैलाशचंद के स्वामित्व व अधिकार समाप्त होकर विवादित भूमि वादीगण के पिता मन्नालाल के स्वामित्व व आधिपत्य में आ चुकी थी। वाद पत्र में अंकित भूमि कैलाशचंद द्वारा समस्त हक व अधिकार वादीगण के पिता मन्नालाल के हक में दि0 19-6-76 को विक्रय करते हुए हस्तान्तरित व अन्तरित कर दिए। इस प्रकार दिनांक 19-6-76 से मन्नालाल जी ही विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन चुके थे। मन्नालाल जी की दिनांक 5-6-2006 को मृत्यु हो चुकी है इस कारण उनके उत्तराधिकारी (वादीगण) उक्त भूमि के खातेदार कृषक बनने के अधिकारी है। उपरोक्त वाद में अंकित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त हक व अधिकार समाप्त हो चुके है। तथा विवादित भूमि का वादीगण के पिता का एकमात्र खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी वादीगण ही खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्यधारी है। वादीगण के पिता का सन् 1973 से आज तक लगातार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि पर शांतिपूर्वक खुल्लमखुल्ला निर्बाध रूप में कब्जा होने से और वर्तमान में वादीगण का कब्जा होने से इस प्रकार लगभग 40-42 वर्षो का कब्जा होने से उक्त भूमि के खातेदार कृषक घोषित करने के अधिकारी है। वादीगण वाद पत्र में अंकित भूमि पर कब्जा मुखालफाना अधिकार से भी वादीगण खातेदार कृषक बन गए है। वादीगण ही वाद पत्र में अंकित भूमि का लगान अदा करते आ रहे है तथा कब्जा भूमि वादीगण का होने से सिचाई विभाग का पिलाई मांगपत्र भी वादीगण के नाम आता है जिसके पेटे वादीगण ही पिलाई की राशि सरकार को अदा करते है। गत आसाढ माह में सोयाबीन की फसल बोई थी और काट ली है वर्तमान मे हांक जोत कर भूमि को फसल हेतु तैयार कर रखा है। वादीगण ने कई बार अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों को वाद पत्र में वर्णित भूमि को खातेदारी में अंकित करने हेतु निवेदन किया लेकिन अन्ततः कोई ध्यान नही दिया अंतिम बार 8 दिन पूर्व तहसीलदार साहब को निवेदन किया जिन्होंने उक्त भूमि को वादीगण के खाते में अंकित करने से साफ मना कर दिया। यही वाद कारण है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी का वाद डिक्री फरमा कर वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की अधिकार घोषणा करते हुए विवादित भूमि वादीगण के पृथक खाते में दर्ज फरमाई जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदार कृषक के रूप में राजस्व अभिलेखों से हटाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किये गये।

1. आया कि खसरा संख्या 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लीलेडा व्यासान में स्थित है। - वादी
2. आया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि 1973 से पूर्व राजस्व खाते में प्रतिवादी सं0 1 एवं उसकी माता लाडबाई के खाते में दर्ज थी। - वादी
3. आया कि वाद पत्र कि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि जडावचंद आ0 श्री मन्नालाल जाति महाजन के मुर्तुहीन रहन बिल कब्जा राजस्व रिकार्ड में थी। - वादी
4. आया कि जडावचंद की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र कैलाशचंद द्वारा समस्त हक व अधिकार वादीगण के पिता मन्नालाल के हम में दिनांक 19.06.1976 को विक्रय करते हुये हस्तान्तरित व अन्तरित कर

इस प्रकार दिनांक 19.06.1976 से मन्नालाल विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन गये। इस कारण उनके उत्तराधिकारी वादीगण उक्त भूमि खातेदार कृषक बनने के अधिकारी है। – वादी अभुतोष –

वकील वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी भंवरलाल का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज विक्रय पत्र प्रदर्श–1, मिलान क्षेपफल प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श–3, जमाबंदी 2046–49 प्रदर्श–4, जमाबंदी पंचशाला प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2007–09 प्रदर्श–6, जमाबंदी पंचशाला प्रदर्श–7, मिलान क्षेपफल 2028–47 प्रदर्श–8 पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित कृषि भूमि 1973 से पूर्व राजस्व खाते में प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता लाडबाई के खाते में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री सुल्तान सिंह की जीवित अवस्था के समय से ही उक्त कृषि भूमि जडावचंद आत्मज. श्री मन्नालाल जी जाति महाजन साकिन पीपल्दा हाडो का के मुर्तुहीन रहन बिल कब्जा राजस्व रिकार्ड में थी। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि श्री जडावचन्द के पास लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से रहन बिल कब्जा चली आ रही थी। जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 को रहन मुक्ति की अवधि सन् 1988 के पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से श्री जडावचन्द का खुदकाश्त कब्जा भूमि होने से भी विवादित उपरोक्त भूमि के श्री जडावचंद महाजन खातेदार कृषक हो चुके थे। व उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान श्री कैलाशचंद जैन महाजन खातेदार कृषक हो चुके थे। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में मात्र खातेदार के रूप में दर्ज है। सन् 1973 के पूर्व ही श्री जडावचंद का देहांत हो जाने से उसका पुत्र कैलाशचंद व पुत्री कंचनबाई उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य रखते थे। कंचन बाई लाओलाद सन् 1974 में फौत हो चुकी थी। सन् 1973 में कैलाशचंद ने वादपत्र में अकित कृषि भूमि 10500/– रू0 में वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री मन्नालाल जी को रहन बिल कब्जा की जिसका दस्तावेज द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को वादीगण के पिता मन्नालाल के हक में 15000/– रू0 के प्रतिफल में विक्रय करते हुए शेष राशि 4500/– रू0 प्राप्त की तथा विक्रय विलेख का उक्त कैलाशंचद द्वारा वादीगण के पिता के हक में निष्पादन करके उप पंजीयक बूंदी के यहां दिनांक 19–6–76 को पंजीयन कराया। जिसमें अंकित तथ्यो से सन् 1973 में कैलाशचंद द्वारा वादीगण के पिता मन्नालाल के हक में विवादित भूमि रहन करने की पुष्टि होती है। रहन का मूल दस्तावेज उपरोक्त विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व उक्त कैलाशचंद ने फाड दिया। इस प्रकार के रहन से सन् 1973 में विवादित भूमि पर उक्त कैलाशचंद के स्वामित्व व अधिकार समाप्त होकर विवादित भूमि वादीगण के पिता मन्नालाल के स्वामित्व व आधिपत्य में आ चुकी थी। वाद पत्र में अंकित भूमि कैलाशचंद द्वारा समस्त हक व अधिकार वादीगण के पिता मन्नालाल के हक में दि0 19–6–76 को विक्रय करते हुए हस्तान्तरित व अन्तरित कर दिए। इस प्रकार दिनांक 19–6–76 से मन्नालाल जी ही विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन चुके थे। मन्नालाल जी की दिनांक 5–6–2006 को मृत्यु हो चुकी है इस कारण उनके उत्तराधिकारी (वादीगण) उक्त भूमि के खातेदार कृषक बनने के अधिकारी है। वादीगण के पिता का सन् 1973 से आज तक लगातार वाद पत्र में अंकित भूमि पर शांतिपूर्वक खुल्लमखुल्ला निर्बाध रूप में कब्जा होने से और वर्तमान में वादीगण का कब्जा होने से इस प्रकार लगभग 40–42 वर्षो का कब्जा होने से उक्त भूमि के खातेदार कृषक घोषित करने के अधिकारी है। वादीगण वाद पत्र में अंकित भूमि पर कब्जा मुखालफाना अधिकार से भी वादीगण खातेदार कृषक बन गए है। अतः वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी का वाद डिक्री फरमाकर वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की अधिकार घोषणा करते हुए विवादित भूमि वादीगण के पृथक खाते में दर्ज फरमाई जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदार कृषक के रूप में राजस्व अभिलेखों से हटवया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने के पश्चात पत्रावली पर कायम विवाद्यक का विवेचन किया गया जो निम्नानुसार है –

1. **आया कि खसरा संख्या 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लीलेडा व्यासान में स्थित है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4 एवं प्रदर्श–8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा सं0 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पिपल्दा हाडो का पटवार मण्डल लिलेडा व्यासान में स्थित होने से यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।

पाया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि 1973 से पूर्व राजस्व खाते में प्रतिवादी सं0 1 एवं उसकी माता लाडबाई के खाते में दर्ज थी।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श-4 के अवलोकन से वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी सं0 1 व लाड बाई के खाते दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।

3. **आया कि वाद पत्र कि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि जडावचंद आ0 श्री मन्नालाल जाति महाजन के मुर्तुहीन रहन बिल कब्जा राजस्व रिकार्ड में थी।**
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-2, प्रदर्श-3, प्रदर्श-4 के अवलोकन से वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 657 पर जडावचंद आ0 श्री मन्नालाल जाति महाजन मुबिक दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होने से यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।

4. **आया कि जडावचंद की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र कैलाशचंद द्वारा समस्त हक व अधिकार वादीगण के पिता मन्नालाल के हम में दिनांक 19.06.1976 को विक्रय करते हुये हस्तान्तरित व अन्तरित कर दिए इस प्रकार दिनांक 19.06.1976 से मन्नालाल विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन गये। इस कारण उनके उत्तराधिकारी वादीगण उक्त भूमि खातेदार कृषक बनने के अधिकारी है।**
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में रजिस्टर विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया । जिससे यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा में से 13 बीघा भूमि का विक्रय केलाशचंद पुत्र जडावचंद जाति जैन निवासी पिपल्दा हाडो का ने मन्नालाल पुत्र गोमदा जाति रेगर निवासी पिपल्दा हाडो का को किया गया है एवं विकय दिनांक से ही मन्नालाल पुत्र गोमदा जाति रेगर एवं मन्नालाल की मृत्यु के पश्चात से ही वादीगण काबिज काश्त है जो वादीगण को उक्त विक्रयशुदा भुमि का सदभावी केता होने से खातेदारी अधिकारी प्रदान करता है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

5. **अनुतोष** – पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने , बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं वाद पत्र में कायम तनकीयो का विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 657 के खातेदार संवत 2022-46 में सुल्तान सिंह वल्द देवी सिंह थे। जमाबंदी संवत 2046-49 में उक्त खसरा सं0 657 के खातेदार बहादुर सिंह पिसरान सुल्तान सिंह व लाड बाई बेवा सुल्तान सिंह रहे एवं केलाशचंद वल्द जडावचंद व श्रीमति कंचन बाई पुत्री जडावचंद कौम महाजन मुबिक रहे है। वाद वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1976 के पश्चात से ही सदभावी केता 13 बीघा वाद वर्णित आराजी पर काबिज काश्त है। निर्बाध कब्जा काश्त के आधार पर एवं वाद वर्णित आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः वाद वादी डिकी किया जाकर वादीगण को वाद वर्णित आराजी के सदभावी केता होने एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। वाद वर्णित आराजी ख0सं0 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लीलेडा चारणान मे से 13 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरेइसलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

नोट :- आदेशिका दि. 9/4/26 की पालना मे निम्न संशोधन किया जाता है " वाद वर्णित आराजी ख0सं0 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का मे से 13 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।" उक्तानुसार पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

जज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

1. भँवरलाल आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. मोतीलाल आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 मृतक कायम मुकामान –

2/1. भैरूलाल आ0 श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0। मृतक कायम मुकाम

2/1/1 मंजू रेगर पत्नी भैरूलाल जाति रेग निवासी पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा जिला बून्दी
2/1/2 रूद्राक्ष पुत्र भैरूलाल ना0 बा0 जर्ये संरक्षक माता निवासी पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा
2/1/3 लक्ष्मी पुत्री भैरूलाल ना0 बा0 जर्ये संरक्षक माता निवासी पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा
2/2. महेन्द्र आ0 श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
2/3. सुरेश आ0 श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
2/4. मोत्या बाई पत्नी श्री मोतीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा

3. छोटूलाल आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी

3/1 अशोक पुत्र छोटूलाल
3/2 कल्याणी पुत्री छोटूलाल
3/3 शन्ती पुत्री छूटूलाल
3/4 ज्याना बाई पत्नी छोटूलाल जातियान रेगर निवासीगण पीपल्दा हाडो का तह0 तालेडा जिला बून्दी

4. रामनारायण आ0 श्री मन्नालाल जाति रेगर निवासी पीपल्दा हाड़ो का तहसील तालेडा जिला बूंदी
5. मोहनलाल आ0 श्री मन्नालाल जातियान रेगर निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी

वादीगण

बनाम

1. बहादुर सिंह आत्मज श्री सुल्तान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, जिला बूंदी राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188,88,89,90 एवं 53 आर.टी. एक्ट

06/दावा/2023(81/2015)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्दसिंह सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद वादी डिकी किया जाकर वाद वर्णित आराजी ख0सं0 657 रकबा 54 बीधा 15 बिस्वा वाके ग्राम लीलेडा चारणान मे से 13 बीधा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

...ीज.............................. मुबलिक................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय ... व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....ो अदा करें।

मुदई		रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महनताना वकील		
महनताना वकील				खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान				फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर				बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा				हुक्मनामा		
मुतफरिक				मुतफरिक		
मीजान						

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

नोट :- आदेशिका दि. 9/5/26 की पालना मे निम्न संशोधन किया जाता है। "वाद वार्टेट आराजी ख.स. 657 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का मे से 13 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।" उक्तानुसार पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी